अनुलग्नक -3

एक निदेशक के साथ सहमति की डीड का फार्म

सहमति की डीड आज दिनांक ______दो हजार________को ______________________________ में अपने पंजीकृत कार्यालय वाली (बाद में 'एनबीएफसी' कहा जाता है) के एक भाग और अन्य भाग के ________________के श्री / सुश्री_______________(बाद में 'निदेशक" चलकर कहा जाता है) **बीच** किया जाता है ।

अतएव

ए. निदेशक को एनबीएफसी(बाद में "बोर्ड" कहा जाता है) के निदेशक मंडल पर एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और उसका / उसकी नियुक्ति की शर्त के रूप में एनबीएफसी के साथ सहमति के एक डीड में प्रवेश करना आवश्यक है।

बी. निदेशक नियुक्ति के बारे में उनकी शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित इस सहमति की डीड में प्रवेश करने के लिए सहमत हो गया है।

अब इस बात पर सहमति है और सहमति की डीड इस प्रकार साक्ष्यांकित है:

1 निदेशक मानता है कि एनबीएफसी के बोर्ड में निदेशक के रूप में उसका / उसकी नियुक्ति संगम लेख और ज्ञापन , एनबीएफसी के लागू कानूनों और नियमों और इस डीड के प्रावधानों के अधीन है ।

2 निदेशक एनबीएफसी के साथ पारस्परिक संविदा करता है कि:

(i) निदेशक बोर्ड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी / उसके हित की प्रकृति का खुलासा करेगा, यदि एनबीएफसी और किसी भी अन्य व्यक्ति के बीच एक अनुबंध या व्यवस्था या किसी भी प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करता है या उसका/ उसकी हित है या होना है की तुरंत जानकारी होने पर ही या बोर्ड की बैठक में जिस पर इस तरह के अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने के सवाल को ध्यान में रखा जाना है या निदेशक बैठक की तारीख पर नहीं था तो अगर संबंध है या इस तरह के प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था में रुचि रखते हैं या बाद आयोजित या अनुबंध या व्यवस्था में रुचि रखते हैं तो वह बाद में आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में और किसी भी अन्य अनुबंध या व्यवस्था के मामले में जिसमें वे संबंध या रुचि रखते हैं, आवश्यक प्रकटीकरण बोर्ड की पहली बैठक में किया जाएगा।

(ii) निदेशक बोर्ड को सामान्य नोटिस द्वारा उसकी / उसके अन्य निदेशकता, कॉर्पोरेट निकायों के लिए उसका / उसकी सदस्यता , अन्य संस्थाओं में उसकी / उसके हित और कंपनियों के एक भागीदार या मालिक के रूप में उसकी / उसके हित का खुलासा करेगा और बोर्ड को उसमें सभी परिवर्तनों के बारे में अवगत कराता रहेगा।

(iii) निदेशक एनबीएफसी को कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013 में परिभाषित अनुसार उसकी / उसके रिश्तेदारों की एक सूची प्रदान करेगा जिनकी निदेशक के ज्ञान में इस तरह के रिश्तेदारों के कॉर्पोरेट, कंपनियों और अन्य निकायों में निदेशकता और हितों के बारे में जानकारी है ।

(iv) निदेशक एनबीएफसी के निदेशक के रूप में उसकी / उसके कर्तव्यों के निर्वहन करते समय :

(ए) उसकी / उसके ज्ञान या अनुभव के एक व्यक्ति से अपेक्षित उचित कौशल का उपयोग करें;

(बी) उसकी / उसके कर्तव्यों के निष्पादन में उससे यथोचित सदविश्वास में और एनबीएफसी के हित में स्वयं में निहित किसी भी शक्ति अपने / अपनी ओर से उपयोग करने की उम्मीद की जाती है;

(सी) एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति, व्यापार, गतिविधियों के बारे में उसे किए गए प्रकटीकरण की हद तक खुद को जागरूक रखना होगा; .

(डी) बोर्ड और उसके समितियों(सामूहिक संक्षिप्तता की खातिर आगे चलकर "बोर्ड" कहा गया है) की बैठकों में उचित नियमितता के साथ भाग लेगा और उचित रूप से एनबीएफसी के निदेशक के रूप में उसकी / उसके दायित्वों को पूरा करना ;

(ई) एनबीएफसी के हित के अलावा अन्य किसी भी विचार के लिए बोर्ड के किसी भी निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा;

(एफ़) एनबीएफसी को प्रभावित करने वाले बोर्ड के समक्ष लाया सभी मामलों पर जिसमे वैधानिक अनुपालन, प्रदर्शन की समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और प्रक्रियाओं, प्रमुख कार्यकारी नियुक्तियों और आचरण के मानक सहित शामिल है किन्तु सीमित नहीं है, के लिए स्वतंत्र निर्णय लेगा;

(जी) बोर्ड के समक्ष लाया या बोर्ड द्वारा सौंपे गए मामलों में उसकी / उसके स्वतंत्र निर्णय के प्रयोग के साथ हस्तक्षेप करने वाले व्यवसाय या अन्य रिश्ते से मुक्त रहेगा; और

(एच) किसी डर या पक्षपात के बिना और उसकी / उसके स्वतंत्र निर्णय के लेने पर कोई प्रभाव के बिना बोर्ड की बैठकों में उसकी / उसके विचार और राय व्यक्त करेगा;

(v) निदेशक का कर्तव्य होगा:

(ए) एनबीएफसी के हित में सदविश्वास में और किसी भी समपार्श्विक उद्देश्य के लिए कार्य नहीं करने के लिए प्रत्ययी कर्तव्य;

(ख) केवल एनबीएफसी के संगम ज्ञापन और लेख और लागू कानूनों और नियमों द्वारा निर्धारित सीमा में शक्तियों का उपयोग कर कार्रवाई करने का कर्तव्य; और

(ग) एनबीएफसी के कारोबार की उचित समझ प्राप्त करने का कर्तव्य ।

(vi) निदेशक:

(ए) उसे बोर्ड द्वारा करने के लिए सौंपे मामलों के संबंध में जिम्मेदारी से बच नहीं सकेगा;

(बी) पूर्णकालिक निदेशकों और एनबीएफसी और अन्य अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप नहीं करेगा और जहाँ अन्यथा विश्वास करने के लिए कारण है, वह तत्काल बोर्ड को उसकी / उसके चिंताओं का खुलासा करेगा; और

(सी) बोर्ड के एक सदस्य के रूप में उसे खुलासा की गई जानकारी का किसी और का लाभ करने के लिए अनुचित प्रयोग नहीं करेगा और निदेशक के रूप में उनकी / उसकी क्षमता में एनबीएफसी द्वारा उसे / उसे खुलासा की गई जानकारी का उपयोग एनबीएफसी के एक निदेशक के रूप में केवल उसकी / उसके कर्तव्यों के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए और न किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेगा।

3 एनबीएफसी निदेशक के साथ संविदा करती है कि :

(i) एनबीएफसी निम्न के बारे में निदेशक को अवगत कराएगी :

(ए) निदेशक के कानूनी और अन्य दायित्वों की पहचान सहित बोर्ड प्रक्रियाओं और वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन;

(बी) नियंत्रण प्रणालिया और प्रक्रिया;

(सी) बोर्ड बैठकों में मतदान के अधिकार और वे मामले जिनमे निदेशक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें उसकी / उसके हित होने से हिस्सा नहीं लेना है;

(डी) योग्यता की शर्तों और संगम ज्ञापन और लेख की प्रतियां प्रदान करेगी;

(ई) कंपनी की नीतिया और प्रक्रियाए ;

(एफ़) इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध;

(जी) बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों का गठन, विचारार्थ विषय और अधिकार के हस्तांतरण,

(एच) वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति और उनके अधिकार;

(आई) पारिश्रमिक नीति,

(जे) बोर्ड की समितियों में विचार-विमर्श, और

(के) नीतियों, प्रक्रियाओं, नियंत्रण प्रणाली, एनबीएफ़सी के संगम ज्ञापन और लेख सहित लागू नियमों, अधिकार के हस्तांतरण, वरिष्ठ कार्यकारी आदि में किसी भी बदलाव के लिए संवाद और सभी वैधानिक और कानूनी अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति।

(ii) एनबीएफसी बोर्ड और निदेशक को बोर्ड के समक्ष लाया मामलों के संबंध में जो बोर्ड या उसके किसी समिति द्वारा अपने विचार के लिए लाया गया हो या एक निदेशक के रूप में अपने कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निदेशक को बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा सौंपा गया हो, की सभी जानकारी का खुलासा करेगी जो उन्हे सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक है;

(iii) निदेशकों को एनबीएफसी द्वारा किए जाने वाले प्रकटीकरण में निम्नांकित शामिल होगा किन्तु इसी तक सीमित नहीं होगा :

(क) बोर्ड के समक्ष लाया मामलों के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी;

(बी) एनबीएफसी की रणनीतिक और व्यापार की योजना और पूर्वानुमान;

(सी) एनबीएफसी का संगठनात्मक संरचना और अधिकार का हस्तांतरण;

(डी) कॉर्पोरेट और प्रबंधन नियंत्रण और प्रक्रियाओं सहित प्रणाली;

(ई) आर्थिक लक्षण और विपणन वातावरण;

(एफ़) एनबीएफसी के उत्पादों पर उचित रूप में सूचना और अद्यतन जानकारी ;

(जी) प्रमुख व्यय पर अद्यतन जानकारी;

(एफ़) एनबीएफसी के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा; और

(आई) रणनीतिक पहल और योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में आवधिक रिपोर्ट;

(iv) एनबीएफसी निदेशकों और संबंधित कर्मियों को बोर्ड विचार-विमर्श के परिणाम संवाद सूचित करेगी और समय पर बोर्ड की बैठक के समापन की तिथि से दो व्यावसायिक दिनों के भीतर संभव हद तक निदेशकों को बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त तैयार कर प्रसारित करेगी ; और

(v) बोर्ड के समक्ष रखे मामलों में प्रत्यायोजित प्राधिकार के स्तर के बारे में निदेशक को सूचना देगी।

4. एनबीएफसी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कामकाज और उसकी प्रभावशीलता पर निदेशक को आवधिक रिपोर्ट प्रदान करेगी।

5. एनबीएफसी एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करेगी जो बोर्ड को रिपोर्टिंग करने वाला एक वरिष्ठ अधिकारी हो और नीतियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा तथा रिजर्व बैंक अन्य संबंधित सांविधिक और सरकारी अधिकारियों के दिशा-निर्देशों तक ही सीमित न होकर लागू कानूनों , नियमों , नीतियों और प्रक्रियाओं के पालन की निगरानी करेगा।

6. निदेशक एनबीएफसी के निदेशक के रूप में अपने किसी भी अधिकार और दायित्वों को आवंटित, स्थानांतरण, प्रत्यायोजित या भारित नहीं करेगा या किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं सौपेगा हालाकि इसे एनबीएफसी के संगम ज्ञापन और लेख सहित लागू कानूनों और नियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा या उसकी किसी भी समिति द्वारा किसी प्राधिकार,शक्ति कार्य या प्रत्यायोजन को प्रतिबंधित करने के हेतु न समझा जाए।

7. किसी दायित्व या कर्तव्य का निर्वहन, पालन या अनुपालन करने में किसी भी की ओर से विफलता से न तो छूट प्राप्त होगी नहीं और न ही इसे उस समय या उसके बाद किसी निर्वहन, पालन या अनुपालन के लिए एक आदर्श के रूप में माना जाएगा।

8. इस सहमति के डीड मे कोई भी या सभी संशोधन और / या पूर्ति और / या परिवर्तन निदेशक और एनबीएफसी की विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और केवल लिखित में होने पर ही मान्य होगा।

9. यह सहमति की डीड दो प्रतियों में निष्पादित किया गया है और दोनों प्रतियां मूल मानी जाएगी।

गवाह की उपस्थिती में पक्षों ने विधिवत् पहले ऊपर लिखा दिन, महीने और साल पर इस समझौते को किया।

एनबीएफसी के लिए	निदेशक
द्वारा	
नाम:	नाम:
पदनाम:	
की उपस्थिति में:	
1.	2 ....